प्रेस विज्ञप्ति
06.08.2026

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के तहत 393.79 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क संपत्ति की वापसी की अनुमति दी

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई ने दिनांक 04.08.2026 के आदेश द्वारा 393.79 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क अचल संपत्तियों को "वास्तविक वैध दावेदारों" को वापस करने का आदेश दिया।

मामले के तथ्यों के अनुसार, ईडी, सूरत उप-आंचलिक कार्यालय ने मैसर्स नाकोडा लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध अपराध की आय के सृजन एवं धन शोधन में उनकी संलिप्तता के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत जांच प्रारंभ की। पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि मैसर्स नाकोडा लिमिटेड (बाबूलाल गुमानमल जैन एवं देवेंद्र बाबूलाल जैन तथा अन्य के स्वामित्व/नियंत्रण वाली कंपनी) ने समूह की संस्थाओं के माध्यम से धनराशि को व्यवस्थित रूप से अंतरित कर लगभग 828 करोड़ रुपये के बैंक कंसोर्टियम के साथ धोखाधड़ी की।

जांच में पता चला कि केनरा बैंक के नेतृत्व वाले 13 बैंकों के कंसोर्टियम ने मैसर्स नाकोडा लिमिटेड के विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत चालानों के आधार पर उन्हें साख पत्र (एलसी) जारी किए। बाद में, विक्रेताओं ने वास्तविक रूप से माल की आपूर्ति किए बिना, नाकोडा लिमिटेड द्वारा स्वीकार किए गए फर्जी बिल ऑफ एक्सचेंज एवं चालानों के माध्यम से इन एलसी का डिस्काउंट कराया। मैसर्स नाकोडा लिमिटेड के विक्रेताओं के पक्ष में 4,204.25 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 1,212 एलसी खोले गए, जिनमें से 827.98 करोड़ रुपये राशि के 202 घरेलू एलसी नाकोडा लिमिटेड द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण डिवॉल्व हो गए।

पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान, वर्ष 2018 में 375.71 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों तथा वर्ष 2019 में 18.08 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया। उक्त दोनों कुर्कियों की बाद में माननीय निर्णयन प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त, मैसर्स नाकोडा लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन के अपराध के संबंध में विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत एवं अनुपूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की गई तथा माननीय न्यायालय के समक्ष अपराध की आय के रूप में कुर्क संपत्तियों के समपहरण के लिए प्रार्थना की गई।

मामले में, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), अहमदाबाद द्वारा मैसर्स नाकोडा लिमिटेड के विरुद्ध कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) भी प्रारंभ की गई। समाधान प्रक्रिया विफल होने पर परिसमापन की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात, परिसमापक ने कुर्क संपत्ति की बहाली के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया। पीएमएलए के तहत अपराध की आय को वास्तविक वैध दावेदारों को वापस/बहाल करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ईडी ने कुर्क संपत्ति को जारी करने के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। ईडी द्वारा उपर्युक्त प्रस्तुतिकरण के आधार पर, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई ने दिनांक 04.08.2026 को 393.79 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क अचल संपत्तियों को परिसमापक को जारी करने का आदेश पारित किया, ताकि उन्हें आगे वास्तविक वैध दावेदारों को सौंपा जा सके।